भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1723

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

एमएसएमई क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण

1723. **श्री ए. राजा:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत चार वर्षों के दौरान संकट का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पुनरुज्जीवन में सहायता करने के लिए मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एमएसएमई क्षेत्र को उनकी कार्यशील पूंजी के लिए संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और उन्हें वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल करते हुए कोई वित्तीय पैकेज तैयार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा खरीद में प्राथमिकता देने सहित घरेलू और वैश्विक बाजार में उनके उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय देश भर में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, खरीद एवं विपणन सहायता योजना, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि एवं गतिवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब, एमएसएमई चैंपियंस आदि शामिल हैं।

(ख) : सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को कोलेटरल संबंधी किसी परेशानी और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना अधिकतम 500 लाख रुपए तक ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) कार्यान्वित करती है। एमएसई के लिए सीजीएस के तहत सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी संबंधी सुविधाएं पात्र हैं।

(ग) : केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को कवर किया गया है, ताकि उन्हें बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिल सके, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- एमएसएमई के संवर्धन के लिए सहायता;
- विनिर्माणन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना;
- एमएसएमई क्रेडिट के लिए नया मूल्यांकन मॉडल;
- दबाव अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता;

- मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है;
- ट्रेडस में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए वृद्धिपरक स्कोप;
- एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी शाखाएँ;
- खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयाँ;
- ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र।

(घ) : सरकार ने एमएसएमई को विपणन और खरीद संबंधी सहायता में सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 कार्यान्वित करता है। नीति में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 3 प्रतिशत खरीद सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद अनिवार्य है।
- एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की बाजार तक पहुंच को बढ़ाने के लिए खरीद एवं विपणन सहायता योजना कार्यान्वित करता है। यह योजना राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि में सहभागिता की सुविधा प्रदान करती है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई को अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने और विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की सहभागिता की सुविधा प्रदान करने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना कार्यान्वित करता है।
- पहली बार निर्यात करने वालों (सीबीएफटीई) के क्षमता निर्माण के लिए, नए सूक्ष्म और लघु उद्यम जो निर्यातक हैं, को निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

*****